निदेशालय ग्रामीण विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश

मामले में विचारोपरान्त विभाग ने श्रीमती बलविन्द्र कौर, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अम्बाला को 55 वर्ष की आयु उपरान्त सेवा में बनाये रखने का निर्णय लिया है ।

सूजान सिंह
निदेशक एवं विशेष सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनॉक
28.12.2021

पृ0 क0 स्था–2022/48 चण्डीगढ़, दिनॉक 04.01.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है:–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अम्बाला।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को वैबसाइट पर चढ़ाने बारे।

संयुक्त निदेशक
कृते: निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Order/extention